न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–803 / 2026

दौलतिया देवी बनाम् बिहार सरकार

गोरौल थाना कांड संख्या–115 / 2018

अधीन धारा–341, 323, 324, 308, 504, 506, 34 भारतीय दण्ड संहिता।

05.05.2026 गोरौल थाना कांड संख्या–115 / 2018, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–341, 323, 324, 308, 504, 506, 34 में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदिका **दोलतिया देवी उम्र–51 वर्ष पति–देवेन्द्र राय** साकिन–फतहपुर चकसुलेमान, थाना–गोरौल कटहारा, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता **श्री राज नारायण राय** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्यामबाबू राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

Web Copy Not Official

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदिका के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–21.04.2018 को समय करीब 11.15 बजे सूचक के घर पर से बिजली का तार ले जा रहा था तो सूचक ने मना किया कि घर पर से तार नही ले जाओ बगल के रास्ते से ले जाओ। इतने पर दोलतिया देवी, जितेन्द्र कुमार, सविता कुमारी एवं रेणु कुमारी आये और गाली गलौज करने लगे। मना करने पर दोलतिया देवी अपने हाथ में लिए लोहे के रड से जान मारने की नियत से सूचक के सर पर मारा जिससे सूचक का सर फूट गया।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदिका निर्दोष है तथा उन्हें मिथ्या रूप से गांव के राजनीति के कारण इस मामला में फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदिका एवं सूचक दोनों आपस में पट्टीदार है और दोनों के बीच जमीनी विवाद वो घरेलू विवाद है। आवेदिका के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा–308 का आरोप नहीं बनता है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि उभय पक्षों के बीच सुलह हो गई है। निवेदित है, आवेदिका को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदिका के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख सहित कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदिका प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के साथ गाली–गलौज करने एवं लोहे के रड से सूचक का सर फोड़ देने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–803/2026

दौलतिया देवी बनाम् बिहार सरकार

लगातार

05.05.2026

कंडिका 08, 09 एवं 10 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। लेकिन उक्त साक्षियों द्वारा इस बात का समर्थन नहीं किया गया है कि आवेदिका ने सूचक के सर पर लोहे के रड से मारी है। कांड दैनिकी की कंडिका 19 से विदित होता है कि जख्मी मिश्री लाल राय (सूचक) के जख्म को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म पाया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 28 से विदित होता है कि अनुसंधान के क्रम में आवेदिका को धारा–41(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बंध–पत्र पर मुक्त किया गया है। जमानत आवेदन की कंडिका 08 एवं 09 से विदित होता है कि सूचक एवं आवेदिका आपस में पट्टीदार है और उभय पक्षों के बीच सुलह हो गई है जिसका समर्थन आज सुनवाई के क्रम में सूचक मिश्री लाल राय न्यायालय में उपस्थित होकर किया है। कांड दैनिकी की कंडिका 48 से विदित होता है कि आवेदिका के विरूद्व आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–29.08.2018 से आवेदिका के विरूद्व संज्ञान लिया जा चुका है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

Web Copy Not Official

मामले के उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में उपरोक्त आवेदिका को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवेदिका द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदिका को 10,000/–(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।